One time tax on two wheelers

109. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that several State Governments are accepting one time tax on two wheelers;

(b) if so, what are details of those States which are accepting one time tax on two wheelers;

(c) whether in view of difficulties experienced by the owners of two wheelers in Delhi, Government propose to introduce one time tax procedure for two wheelers; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTERY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) Yes, Sir.

(b) The system of 'one time lump sum tax' in respect of two wheelers is operative in Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Punjab, Gujarat, Uttar Pradesh, Goa, Chandigarh and Pondicherry. The State Government of J & K have also effected requisite enactment in this regard but the provisions are presently stayed under orders of High Court.

(c) Yes, Sir

(d) Does not arise.

पवन हंस हेलीकाप्टर दुर्घटना संबंधी जांच-प्रतिवेदन

110. डा० अबरार अहमद खान: क्या नागर **विभानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष 14 जुलाई और 12 अगस्त को पवन हंस हेलीकाप्टरो की दुर्घटनाओं के संबंध में जांच-प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; यदि हां, तो उक्त दुर्घटनाओं के क्या कारण थे; यदि जांच प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है और जांच में विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार है;

(ख) क्या उक्त दुर्घटनाओं के बाद सभी पवन हंस हेलीकाप्टरो की तकनीकी दृष्टि से जांच कर ली गयी है; यदि हां, तो इस जांच के परिणाम-स्वरूप कितने हेलीकाप्टरों को खराब पाया गया है और इनमें किन-किन खराबियों का पता चला है तथा क्या उन खराबियों को दूर कर दिया गया है तथा इनमें से कितने हेलीकाप्टर उड़ान भर सकने योग्य हैं;

(ग) क्या 8 फरवरी को दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकाप्टर की उड़ान से पहले तकनीकी जांच की गयी थी, यदि हा, तो कब और किसके द्वारा; और

(घ) जांच रिपोर्ट में किन-किन बातों का उल्लेख किया गया था और क्या कोई मरम्मत की गयी थी, और यदि हां, तो मरम्मत किस प्रकार की थी और कब की गयी थी?

नागर विमान और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल): (क) 12.8.88 को हुई हेलीकाप्टर की दुर्घटना की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इस समय सरकार द्वारा इसकी जाच की जा रही है। 14.7.88 को हुई दुर्घटना की जांच रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने में दो कारणों से विलम्ब हुआ है। पहला, मलबे को ढूंढने में समय लगा क्योंकि हेलीकाप्टर गहरी खाई में गिरा था और दूसरा विदेश में निर्माता के साथ इस बारे में चर्चा की गई थी।

(ख) 12 अगस्त, 1988 की दुर्घटना के बाद सभी हेलीकाप्टर तकनीकी जांच के लिए भेजे गए थे। हेलीकाप्टरों मे कोई बड़ी त्रुटि नहीं पाई गई थी।

(ग) और (घ) 7 फरवरी, 1989 को अर्थात् दुर्घटना के दिन तकनीकी कार्मिकों द्वारा फ्लाइट रिलीज़ पर हस्ताक्षर किए गए थे। कोई असामान्यता नहीं पाई गई थी और कोई मरम्मत कार्य नहीं किया गया था।

आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री के साथ फिज़ी में भारतीयों के सम्बन्ध में चर्चा

111. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री की हाल की भारत-यात्रा के दौरान सरकार ने फिजी में भारतीय मूल

के लोगों से किये जा रहे भेदभावपूर्ण वर्ताव के प्रश्न पर उनसे चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में इस संबंध में दोनों देशों द्वारा अनुसरण की जाने वाली सक्रिय नीति संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० के० के० तिवारी): (क) और (ख) जी हां। आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री की 9 से 12 फरवरी, 1989 तक भारत यात्रा के दौरान इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था। हमने आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री को अपनी चिन्ता से अवगत करा दिया था।

(ग) यद्यपि दोनों सरकारें इस विषय के बारे में सम्पर्क बनाए रखेंगी परन्तु नीतियों को समन्वित करने का प्रस्ताव नहीं है। 20.9.1988 को भारत सरकार द्वारा जारी सरकारी वक्तव्य की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है, (नीचे देखिये)। इस यात्रा के दौरान इस विषय पर आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री के वक्तव्यों का व्यापक रूप से प्रचार किया गया था।

सरकारी वक्तव्य

भारत सरकार ने फिजी की अन्तरिम सरकार द्वारा अनुमोदित फिजी के संविधान के मसौदे की मुख्य बातों पर गौर किया है। यद्यपि मसौदे का पूरा पाठ अभी प्राप्त होना है, परन्तु अभी तक उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि प्रस्तावित संसद में विभिन्न समुदायों के न्यायोचित और समान प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। अपदस्थ प्रधानमंत्री डा० बावेन्द्रा ने कहा है कि " इस संविधान में एक ऐसे देश में भारतीय लोगों के दर्जे को घटाकर तीसरी श्रेणी का नागरिक बना दिया गया है जहां उनकी आबादी कुल आबादी का 50 प्रतिशत है"। भारत सरकार को यह नोट करके खेद हुआ है कि ऐसा बताया जाता है कि इस मसौदे में संसद में सभी चुनी हुई सीटों के लिए साम्प्रदायिक मताधिकार को स्वीकार करने जैसे कई ऐसे प्रावधान हैं जो अलोकतांत्रिक, भेदभावपूर्ण और शांति, स्थिरता और जातीय सामंजस्य के हितों के लिए हानिकर हैं।

भारत सरकार इस बात पर गौर करती है कि अन्तरिम सरकार ने कहा है कि संविधान के मसौदे पर परामर्श की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। भारत सरकार को उम्मीद है कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र और लोकतांत्रिक होगी ताकि जनसंख्या के सभी वर्गों के लोग एक ऐसा संविधान तैयार करने में अपना योगदान कर सकें, जो सभी को स्वीकार्य हो। इस संदर्भ में भारत सरकार आन्तरिक सुरक्षा आदेश को रद्द करने की अपनी मांग दोहराती है।

Demand for stoppage of Golkonda Express at Garla

112 SHRI RAM NARESH YADAV: SHRI YASHWANT SINHA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from the people of Khamman in Andhra Pradesh for the stoppage of ½ Golkonda Express and 55/56 Narsapur-Secunderabad Express at Garla Railway Station in S. C. Railway;

(b) whether Government have considered the said demand; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MAHABIR PRASAD): (a) to (c) Yes, Sir. Stoppage of ½ Golkonda Express has been provided at Garla on experimental basis for four months with effect from 1.1.1989. However, stoppage of 55/56 Narsapur-Secunderabad Express has not been found operationally feasible.

प्राथमिक विद्यालयों में श्यामपट्ट

113. **श्री राम जेठमलानी:**
श्री राम नरेश यादव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के 40 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में श्यामपट्ट भी नहीं हैं;